

## भारत-पाकिस्तान जलवियुत परियोजना को लेकर मतभेद

### प्रलिस के लयि:

मध्यस्थता न्यायालय, [सधु जल संधि](#), स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA), [वशिव बैंक](#)


### मेन्स के लयि:

सधु जल संधि और कार्यानवयन संबधति मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

भारत जम्मू-कश्मीर में कशिनगंगा और रतले जलवियुत परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, हाल ही में हेग(Hague) स्थति स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA) ने फेसला कयिा है कउसके पास इस परयोजना से संबधति पाकसितान की आपत्तयिों/शकियतें सुनने का अधकियार है।

- हालाँक, "मध्यस्थता न्यायालय" के संबधियान को [सधु जल संधि](#) (Indus Waters Treaty- IWT) के प्रावधानों के खलियाफ मानते हुए भारत इसे अस्वीकार करता है।



## सधु जल संधि:

#### ■ परिचय:

- भारत और पाकस्तान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में **IWT (जल साझाकरण संधि)** पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता था।
- यह संधि **सिंधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र निर्धारित करती है।**
- इस संधि का उद्देश्य **भारत और पाकस्तान के बीच सीमा पार जल संसाधनों के सहयोग तथा शांतपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा देना है।**

#### ■ नदियों का आवंटन:

- इस संधि के तहत, **तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलज)** को अप्रतिबंधित उपयोग के लिये **भारत** को आवंटित किया गया है।
- **पाकस्तान के अप्रतिबंधित उपयोग के लिये तीन पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम और चनाब)** आवंटित की गई हैं।
- भारत के पास **घरेलू, गैर-उपभोग्य और कृषि उद्देश्यों के लिये पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है।**

#### मुख्य प्रावधान:

#### ■ परियोजना निर्माण:

- इस संधि के तहत कुछ शर्तों के साथ **भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर जलवदियुत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है।**

#### ■ विवाद नपिटान:

#### ○ स्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से संवाद (Permanent Indus Commission- PIC):

- इस आयोग में प्रत्येक देश का एक आयुक्त होता है।
- इसके सदस्य देश एक-दूसरे को सिंधु नदी पर नयोजित परियोजनाओं के बारे में सूचित करते हैं।
- PIC आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य मतभेदों को दूर करना और तनाव को बढ़ने से रोकना है।

#### ○ तटस्थता कार्य विशेषज्ञ:

- यदि PIC किसी समस्या को हल करने में विफल रहता है, तो इस समस्या को अगले स्तर पर भेज दिया जाता है।
- **विश्व बैंक एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है।**
- यह विशेषज्ञ मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करता है।

#### ○ मध्यस्थता न्यायालय (CoA):

- यदि उस मामले का नपिटान तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा भी नहीं हो पाता है फरि मामले को **मध्यस्थता न्यायालय में भेज दिया जाता है।**
- CoA मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान करती है।
- सिंधु जल संधि में स्पष्ट है **किसी दिये गए विवाद के लिये तटस्थ विशेषज्ञ और CoA में से एक समय में केवल एक का ही उपयोग किया जा सकता है।**

## भारत और पाकस्तान के बीच जल-वदियुत परियोजना विवाद:

#### ■ जल-वदियुत परियोजनाएँ:

- इस मामले में भारत और पाकस्तान के बीच **कशिनगंगा जल-वदियुत परियोजना (झेलम नदी की सहायक नदी कशिनगंगा नदी पर)** और **जम्मू-कश्मीर में रतले जल-वदियुत परियोजना (चनाब नदी पर)** को लेकर विवाद शामिल है।
  - दोनों देश इस बात पर असहमत हैं **किक्या इन दोनों जल-वदियुत संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन विशेषताएँ IWT का उल्लंघन करती हैं।**

#### ■ पाकस्तान की आपत्तियाँ:

- पाकस्तान **IWT के उल्लंघन में कम जल प्रवाह, पर्यावरणीय प्रभाव तथा विभिन्न संधि वियाख्याओं के बारे में चर्चाओं का हवाला देते हुए जल-वदियुत परियोजनाओं पर आपत्तितताता है।**
- वर्ष 2016 में पाकस्तान ने **एक तटस्थ विशेषज्ञ का अपना अनुरोध वापस ले लिया साथ ही इसके स्थान पर एक CoA का प्रस्ताव रखा।**
- भारत ने इस प्रक्रिया में इसके महत्त्व पर जोर देते हुए **वर्ष 2016 में एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया, जिसे पाकस्तान ने नजरअंदाज करने की कोशिश की।**

#### ■ विश्व बैंक का हस्तक्षेप:

- विश्व बैंक ने भारत और पाकस्तान के **अलग-अलग अनुरोधों के कारण प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसमें PIC के माध्यम से समाधान का आग्रह किया गया था।**
- पाकस्तान ने **PIC बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण विश्व बैंक को तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय पर कार्रवाई प्रारंभ करनी पड़ी।**
  - यह संधि विश्व बैंक को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं देती है **किक्या प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये या नहीं।**
  - विश्व बैंक ने CoA और तटस्थ विशेषज्ञ दोनों के संबंध में अपने प्रक्रियात्मक दायित्वों को पूरा करने की मांग की।

#### ■ भारत का वरिध:

- भारत, सिंधु-जल संधि प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए **CoA के संविधान का वरिध करता है।**

- भारत ने CoA के अधिकार क्षेत्र और क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका गठन संधि के अनुसार नहीं किया गया था।
- भारत ने एकल विवाद समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देते हुए मध्यस्थों की नयुक्ति नहीं की है या न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है।

## स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का नरिणय:

### ■ नरिणय:

- PCA ने नरिणय दिया कि मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के पास जम्मू-कश्मीर में भारत की जल-वदियुत परियोजनाओं के संबंध में पाकसितान की आपत्तियों पर वचिर करने की क्षमता है।
- यह सरवसम्मत नरिणय पर आधरति थर, जो दोनों पक्षों के लयि बरधयकररी थर सरथ ही इसमें अपील की कोई संभरवना भी नहीं थी।
- PCA ने CoA की क्षमतर पर भारत की आपत्तियों को अस्वीकृत कर दयिर, जैसर कविशिव बैंक के सरथ उसके संचरर मरधयम से उठरयर गयर थर।

### ■ भररत की प्ररतकिररयिर:

- भररत ने स्पष्ट कयिर कविह PCA में पकरसितान दरररर भरर की गई करर्यवरही में शरमलि नहीं हरग कर्योक IWT के ढरंचे के अररतगत वरिवरद की जरंच पहले से ही एक तटस्थ वरिशेषजुज दररर की जर रही है।

### ■ नरिहिरररथ:

- PCA कर नरिणय जल-वदियुत परयिरजनरओं को लेकर भररत और पकरसितान के बीच चल रहे वरिवरद में जटलितर तथर अनशिरचिततर में वृधुध कररतर है।
- यह फेसलर भररत की स्थतिर को चुनौती देतर है और IWT की प्रभरवशीलतर और वरिचनर पर सवल उठरतर है।
- नरिणय के नरिहिरररथ वरिशिषिट वरिवरद से परे हैं, जो संभरवति रूप से भररत और पकरसितान के बीच द्वपिक्षीय संबंधों वरिशेष रूप से जल-बँटवररे और सहयग से संबंधतिर को प्रभरवति कर रहे हैं।

## स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

- इसकी स्थापनर वरष 1899 में हुई थी और इसकर मुखयलय द हेग, नीदरलैंड में है।
- उददेश्य: यह एक अंतर-सरकररी संगठन है जो वरिवरद समाधरन के कषेतर में अंतरररषटरीय समुदरर की सेवा करने और ररज्यों के बीच मध्यस्थतर तथर वरिवरद समाधरन के अन्य रूपों को सुवधिरजनक बनरने के लयि समर्रपति है।
- इसकी तीन-भरगीय संगठनरतमक संररचना है जसिमें शरमलि हैं:
  - प्रशरसनकि परषिद - अपनी नीतियों और बजट की देखरेख के लयि,
  - न्यररलय के सदस्य - स्वतंत्र संभरवति मध्यस्थों कर एक पैनल, और
  - अंतरररषटरीय ब्यूरु - इसकर सचवरलय, जसिकर नेतृत्व महरसचवि कररतर है
- नधिर: इसकर एक वरतितीय सहरयतर कष है जसिकर उददेश्य वकिसशील देशों को अंतरररषटरीय मध्यस्थतर यर PCA दररर प्रस्तावति वरिवरद नपिटरन के अन्य तरीकों में शरमलि लरगतों कर हसिसर पूर्ण करने में सहरयतर कररनर है।

## UPSC सविलि सेवा परीकषर, वगित वरष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न 1. सधु नदी प्रणरली के संदरभ में, नमिनलखिति चरर नदरियों में से तीन नदरियाँ इनमें से कसिी एक नदी में मलिती है जो सीधे सधु नदी में मलिती है। नमिनलखिति में से वह नदी कौन सी है जो सधु नदी से मलिती है? (2021)

- (a) चेनरब
- (b) झेलम
- (c) ररवी
- (d) सतलज

उत्तर : (d)

व्यरख्या :

- झेलम पकरसितान में झरंग के पसर चनरब में मलिती है। ररवी सररय सधु के नकिट चनरब में मलि जरती है।
- सतलज पकरसितान में चनरब से मलिती है। इस प्रकरर, सतलज को ररवी, चनरब और झेलम नदरियों कर सरमूहकि जल नकिस प्रररुत हरतर है। यह मथिनकोट के पसर सधु में मलिती है।

अत: वकिलप (D) सही उत्तर है।

??????:

प्रश्न . सधु जल संधिका वविरण प्रस्तुत कीजयि तथा बदलते द्वपिक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारस्थितिकि, आर्थकि एवं राजनीतकि नहितार्थों का परीक्षण कीजयि । (2016)

स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pca-asserts-competence-in-india-pakistan-hydroelectric-projects-dispute>

